राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 457/2015/जोधपुर.

मैसर्स ओम कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स,
शास्त्री नगर, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/01/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलीय प्राधिकारी जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर के अपील संख्या 16/आरवैट/जेयूडी/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स टैक्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे '**कर निर्धारण अधिकारी**' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे '**अधिनियम**' कहा जायेगा) कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के आदेश दिनांक 14.03.2014 के आदेश में आरोपित विलम्ब शुल्क रूपये 25,000/– को यथावत रखा गया था।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011–12 में चारों तिमाही रिटर्न एवं वार्षिक विवरण पत्र वैट–10A बिना विलम्ब शुल्क जमा के देरी से प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब शुक्ल रूपये 25,000/– अभिनिर्धारित किया गया। अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि धारा 21 में समय पर रिटर्न प्रस्तुत करने पर किसी प्रकार की फीस आरोपित नहीं की जा सकती है एवं नियम 19A में विवरणी को विलम्बता से पेश करने पर फीस करदायी द्वारा जमा कराकर ही विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जबकि अपीलार्थी द्वारा बिना विलम्ब शुल्क जमा के विलम्बता से प्रस्तुत किये गये विवरणियों को वेब पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान कर दिये जाने के पश्चात् विलम्बता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रस्तुत की गयी विवरणियां "Deemed to be accepted" की परिभाषा में मान्यता प्रदान की गयी है तथा उसी के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है।

लगातार.....2

3. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी एक ठेकेदार है एवं ठेकेदार मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि एक ठेकेदार होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इन्हें धारा 8(3) के तहत् घोषित किया है क्योंकि व्यवहारी की ओर से कर अवार्डर द्वारा उसको भुगतान किये जाने पर उसके बिलों से कर की कटौती कर विभाग में जमा करवाया जाता है। नियम 19(A) के तहत् विवरणी की विलम्बता पर ऐसे व्यवसाईयों को मासिक करदाता न मानते हुए अधिकतम 19(A)(3) के तहत् शास्ति रूपये 5000/– से अधिक आरोपित नहीं की जा सकती। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों को उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं :–

(1) **12 टैक्स अपडेट 25 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स बेनीवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जट का सराई, हिण्डोन सिटी।**

(2) **16 टैक्स अपडेट 138 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स बीन्ट कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सूरतगढ़।**

(3) **अपील संख्या 519/2007/जोधपुर, मैसर्स फज़लु रहमान एण्ड सन्स, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (राजस्थान कर बोर्ड)**

4. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाधित है कि अपीलार्थी व्यवसायी एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत व्यवसायी है तथा अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के आलोक में यह कथन विधिसम्मत है कि अपीलार्थी व्यवसायी मासिक कर दाता की श्रेणी में सम्मिलित होने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19A(iii) के अनुसार अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 5000/– ही आरोपणीय है अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रूपये 5000/– का विलम्ब शुल्क की सीमा तक पुष्टि करते हुए अवशेष शुल्क रूपये 20,000/– अपास्त किया जाता है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

3/11/17

(के. एल. जैन)
सदस्य